न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –922 / 2024

अनवान : –

1. लाभ सिंह पुत्र गुरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी नेहियावाला तहसील गोनियाना मण्डी जिला भठिण्डा।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादी

<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89</u>

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय **दिनांकः** 04/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 6 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 28 / 25 के कुल खसरे 20 का कुल क्षेत्रफल 3.1625 है0 भूमि में से 1 / 4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 8 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 35 / 32 के कुल खसरे 20 की कुल तादादी 4.4900 है0 भूमि में से 1 / 4 हिस्सा भूमि मृतक पाखरसिंह पुत्र बचनसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पाखरसिंह पुत्र बचनसिंह के नाम दर्ज है। पाखरसिंह पुत्र बचनसिंह जाति जटसिख निवासी नेहियावाला तहसील गोनियाना मण्डी जिला बठिण्डा का स्वर्गवास दिनांक 16.06.2001 को हो चुका है तथा पाखरसिंह पुत्र बचनसिंह ने अपनी मृत्यु से पूर्व दिनांक 28.05.1993 को अपनी भारतवर्ष में समस्त चल या अचल सम्पति की वसीयत वादी लाभ सिंह पुत्र गुरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी नेहियावाला तहसील गोनियाना मण्डी जिला बठिण्डा के पक्ष में दो गवाहान की मौजूदगी में तहरीर करवाई थी, वसीयतनामा का मजमून वसीकानवीस भगवानदत वर्मा लाईसेन्स नं. 64 भटिण्डा के लिखित नम्बर 351 दिनांक 28.05.1993 को तहरीर हुई जो सब रजिस्ट्रार बठिण्ड से पंजीकृत है जो लिखित नं. 86 बही नम्बर 3 में चिपका दिया गया वसीयत वसीयतकर्ता ने अपनी स्वैच्छा से बिना किसी दवाब के अपनी स्वस्थ मन बुद्धि से तहरीर करवाई थी तथा पढ़ सुनकर गवाहान की मौजूदगी में अपने हस्ताक्षर किये थे। उक्त वसीयत पंजाबी भाषा में तहरीर हुई जिसका हिन्दी अनुवाद अवतार सिंह सिधु एडवोकेट नोटेरी बठिण्डा द्वारा दिनांक [illegible] को हुआ। रोही मौजा 6 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 28/25 के कुल खसरे 20 का कुल क्षेत्रफल 3.1625 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 8 बारानी तहसील नोहर के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:42:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 35/32 के कुल खसरे 20 की कुल तादादी 4.4900 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि की वसीयत वादी के पक्ष में करवाई थी तथा वसीयतनामा में तहरीर करवाया था कि मेरी उम्र 65 वर्ष हो चुकी है जीवन का कोई भरोसा नहीं है कम मौत आ जाये मुझे रोटी कपड़ा, दवाईया व तीरर्थ यात्रा मेरा भतीजा लाभ सिंह पुत्र गुरनेक सिंह पुत्र बचन सिंह निवासी नेहियावाला ही करता है मैं उसकी सेवा व देखरेख से खुश हूँ इसलिए अपनी जायदाद की वसीयत मेरे भतीजा के पक्ष में करता हूँ। मेरी शादी हुई थी मेरी पत्नी की मौत हो चुकी है उसके कोई औलाद नहीं है इसलिए सभी जायदाद का अजल मालिक भतीजा ही होगा। मुताबिक वसीयतामा वादी वसीयत भूमि पर काबिज है। उपरोक्त वसीयत पर प्रीतमसिंह नम्बरदार नेहियावाला के पंजाबी में हस्ताक्षर दर्ज किये व गवाह जंगीरसिंह पुत्र रामरख निवासी नेहियावाला ने अंगूठा निशान दर्ज किये थे तथा वसीयकर्ता ने सुनकर समझकर अपने हस्ताक्षर दर्ज किये थे।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई दफा कहा कि मुताबिक वसीयत वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा कि जावें की उक्त वाद भूमि का मुताबिक वसीयत वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया । वसीयत के संबंध में श्री मंशा सिंह पुत्र बख्तावर सिंह , मेजरसिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी नेहियावाला, जसविन्द्र सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी नेहियावाला, करनेल सिंह पुत्र दलिप सिंह जाति जटसिख निवासी नेहियावाला सरपंच व समूह ग्राम पंचायत गांव नेहियावाल की दिनांक 16.09.2024 प्रमाणित रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद, वारिसान प्रमाण पत्र पंजाबी मय हिन्दी अनुवाद, चित्रप्रति वसीयत मय हिन्दी अनुवाद, क्रम संख्या 8662 गांव नोहियावाल इंतकाल बहक पाखर सिंह दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पाखरसिंह पुत्र बचनसिंह के नाम दर्ज है। पाखरसिंह पुत्र बचनसिंह जाति जटसिख निवासी नेहियावाला तहसील गोनियाना मण्डी जिला बठिण्डा का स्वर्गवास दिनांक 16.06.2001 को हो चुका है तथा पाखरसिंह पुत्र बचनसिंह ने अपनी मृत्यु से पूर्व दिनांक [illegible] को अपनी भारतवर्ष में समस्त चल या अचल सम्पति की वसीयत वादी लाभ सिंह पुत्र गुरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी नेहियावाला तहसील गोनियाना मण्डी जिला बठिण्डा के पक्ष में गवाहान की मौजूदगी में तहरीर करवाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:42:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

थी, वसीयतनामा का मजमून वसीकानवीस भगवानदत वर्मा लाईसेन्स नं. 64 भटिण्डा के लिखित नम्बर 351 दिनांक 28.05.1993 को तहरीर हुई जो सब रजिस्ट्रार बठिण्ड से पंजीकृत है जो लिखित नं. 86 बही नम्बर 3 में चिपका दिया गया वसीयत वसीयतकर्ता ने अपनी स्वैच्छा से बिना किसी दवाब के अपनी स्वस्थ मन बुद्धि से तहरीर करवाई थी तथा पढ़ सुनकर गवाहान की मौजूदगी में अपने हस्ताक्षर किये थे। उक्त वसीयत पंजाबी भाषा में तहरीर हुई जिसका हिन्दी अनुवाद अवतार सिंह सिधु एडवोकेट नोटेरी बठिण्डा द्वारा दिनांक 02.02.2024 को हुआ। रोही मौजा 6 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 28/25 के कुल खसरे 20 का कुल क्षेत्रफल 3.1625 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 8 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 35/32 के कुल खसरे 20 की कुल तादादी 4.4900 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि की वसीयत वादी के पक्ष में करवाई थी मुताबिक वसीयतामा वादी वसीयत भूमि पर काबिज है। उपरोक्त वसीयत पर प्रीतमसिंह नम्बरदार नेहियावाला के पंजाबी में हस्ताक्षर दर्ज किये व गवाह जंगीरसिंह पुत्र रामरख निवासी नेहियावाला ने अंगूठा निशान दर्ज किये थे तथा वसीयकर्ता ने सुनकर समझकर अपने हस्ताक्षर दर्ज किये थे। वसीयत के गवाहान का देहान्त हो चुका है। वादी की पंजाब की भूमि का मुताबिक वसीयत वाद भूमि दर्ज हो चुकी है। अतः मुताबिक वसीयत वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 6 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 28/25 के कुल खसरे 20 का कुल क्षेत्रफल 3.1625 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 8 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 35/32 के कुल खसरे 20 की कुल तादादी 4.4900 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि मृतक पाखरसिंह पुत्र बचनसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुताबिक वसीयत पाखरसिंह पुत्र बचनसिंह ने अपनी मृत्यु से पूर्व दिनांक 28.05.1993 को अपनी भारतवर्ष में समस्त चल या अचल सम्पति की वसीयत वादी लाभ सिंह पुत्र गुरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी नेहियावाला तहसील गोनियाना मण्डी जिला बठिण्डा के पक्ष में दो गवाहान की मौजूदगी में तहरीर करवाई थी, वसीयतनामा का मजमून वसीकानवीस भगवानदत वर्मा लाईसेन्स नं. 64 भटिण्डा के लिखित नम्बर 351 दिनांक 28.05.1993 को तहरीर हुई जो सब रजिस्ट्रार बठिण्ड से पंजीकृत है। वादी द्वारा प्रस्तुत सरपंच और समूह ग्राम पंचायत ग्राम नोहियावाली की प्रमाणित रिपोर्ट के मुताबिक वसीयत के गवाहान का देहान्त हो चुका है। श्री मंशा सिंह पुत्र बख्तावर सिंह , मेजरसिंह पुत्र [illegible] सिंह जाति जटसिख निवासी नेहियावाला, जसविन्द्र सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी नेहियावाला, करनेल सिंह पुत्र दलिप

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:42:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सिंह जाति जटसिख निवासी नेहियावाला के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार उक्त वसीयत सही है एवं वसीयत भूमि पर वादी काबिज है तथा वाद भूमि के संबंध में कोई भी वाद विवाद नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 28/25 के कुल खसरे 20 का कुल क्षेत्रफल 3.1625 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 8 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 35/32 के कुल खसरे 20 की कुल तादादी 4.4900 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि दोनो खातों में मृतक पाखरसिंह पुत्र बचनसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 04/10/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:42:46 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –922 / 2024

अनवान : –

1. लाभ सिंह पुत्र गुरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी नेहियावाला तहसील गोनियाना मण्डी जिला भठिण्डा।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 922 सन 2024 निर्णय दिनांक 04/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 28 / 25 के कुल खसरे 20 का कुल क्षेत्रफल 3.1625 है0 भूमि में से 1 / 4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 8 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 35 / 32 के कुल खसरे 20 की कुल तादादी 4.4900 है0 भूमि में से 1 / 4 हिस्सा भूमि दोनो खातों में मृतक पाखरसिंह पुत्र बचनसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/10/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:42:46 IST
Reason: SelfAttested